

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/पूर्णियाँ ।

पटना, दिनांक- 5-9-18

विषय:-

राज्य योजना बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत विपत्र कोड-26-2230011030103, विपत्र कोड-26-2230017890104 एवं विपत्र कोड-26-2230017960102 के तहत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 6195, 6197 एवं 6198 dated- 05-09-18 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध आवंटन CFMS Software से किया जा रहा है। CFMS Software में Text Entry की व्यवस्था नहीं रहने के कारण राज्य योजना बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत विपत्र कोड-26-2230011030103, विपत्र कोड-26-2230017890104 एवं विपत्र कोड-26-2230017960102 के तहत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 6195, 6197 एवं 6198 dated- 05-09-18 में राशि किस पत्र के आलोक में निर्गत की गयी है, का उल्लेख संभव नहीं है।

2. CFMS Order No.- 6195 dated- 05-09-18 से आवंटित की गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसमें निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

यह राशि जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित "बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु सामान्य एवं अन्य जाति के बाल श्रमिकों के लिए ₹ 5,000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर से निम्न प्रकार से आवंटित की गयी है-

क्र. सं.	37-अनुग्रह अनुदान	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदा-धिकारी का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	विषयशीर्ष- 0103.37.01 अनुग्रह अनुदान	समस्तीपुर	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	07	35000	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर के पत्रांक-521 दिनांक-12.7.18 के आलोक में ।
2	तदैव	पूर्णियाँ	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ	08	40000	श्रम अधीक्षक, पूर्णियाँ के पत्रांक-606 दिनांक-23.08.18 के आलोक में ।
कुल योग				15	75000	

कुल आवंटित राशि ₹ 75,000/- (₹ पचहत्तर हजार) मात्र ।

3. CFMS Order No.- 6197 dated- 05-09-18 से आवंटित की गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसमें निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

यह राशि जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित "बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु अनुसूचित जाति के बाल श्रमिकों के लिए ₹ 5,000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर से निम्न प्रकार से आवंटित की गयी है-

क्र. सं.	37-अनुग्रह अनुदान	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	विषयशीर्ष-0103.37.01	समस्तीपुर	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	07	35000	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर के पत्रांक- 521 दिनांक-12.7.18 के आलोक में ।
2	अनुग्रह अनुदान	पूर्णियाँ	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ	07	35000	श्रम अधीक्षक, पूर्णियाँ के पत्रांक-606 दिनांक-23.08.18 के आलोक में ।
कुल योग				14	70000	

कुल आवंटित राशि ₹ 70,000/- (₹ सत्तर हजार) मात्र ।

4. CFMS Order No.- 6198 dated- 05-09-18 से आवंटित की गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसमें निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

यह राशि जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित "बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु अनुसूचित जनजाति के बाल श्रमिकों के लिए ₹ 5,000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर से निम्न प्रकार से आवंटित की गयी है-

क्र. सं.	37-अनुग्रह अनुदान	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
2	तदैव	पूर्णियाँ	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ	02	10000	श्रम अधीक्षक, पूर्णियाँ के पत्रांक-606 दिनांक-23.08.18 के आलोक में ।
कुल योग				02	10000	

कुल आवंटित राशि ₹ 10000/- (₹ दस हजार) मात्र ।

5. यह राशि विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-3387 दिनांक-14.05.18 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च 2019 तक व्यय के निमित्त आवंटित की गयी है।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि0 दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।

7. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा । भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।

8. आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को नियमानुसार जाँच कर किया जाय। आवंटित राशि को उन्ही विमुक्त बाल श्रमिक को प्रदान/लाभांशित किया जाय जिन्हें पूर्व में यह राशि प्रदान नहीं की गयी है।

9. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निकासी के उपरांत अविलंब उपलब्ध करा दी जाय ।

10. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।


विश्वासभाजन,  
05/09/18  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-303/18 श्र0सं0-

6405 पटना, दिनांक 5-9-18

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार उप कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01(श्रम पक्ष) को उनके गै.सं.प्रे.सं.0-334 एवं 271 (श्रम पक्ष) क्रमशः दि.-31.8.18 एवं 24.7.18 के आलोक में/आई.टी.मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा।

  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।